

शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध
संख्या-1503 / सत्र-3-2021

प्रेषक,

हरेन्द्र कुमार सिंह
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

विषय:-प्रदेश में दिनांक 16 से 22 जुलाई, 2021 तक "भू-जल सप्ताह" का आयोजन किया जाना है।
महोदय,

लेखनांक/दिनांक 15 जुलाई, 2021

उपर्युक्त विषयक नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के संलग्न पत्र संख्या-76-3099/40/2021-3, दिनांक 30.06.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में भूर्भु जल सम्पदा के महत्व के प्रति जन-जागरूकता सृजित करने के उद्देश्य से वर्ष 2012 से प्रत्येक वर्ष दिनांक 16 से 22 जुलाई के मध्य भू-जल सप्ताह का निरन्तर आयोजन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में पूर्व में शासनादेश संख्या-732/62-1-2012-830/98, 05.06.2012 के द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में भू-जल जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य से निर्देश जारी किये गये हैं तथा प्रत्यक्षे वर्ष दिये जाते रहे हैं।

अतः कोविड-19 के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत वर्ष 2021 में संलग्न पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में सम्पूर्ण प्रदेश में 16 से 22 जुलाई के मध्य भू-जल सप्ताह का प्रभावी ढंग से आयोजन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त महाविद्यालय,
सम्बद्ध जननायक चन्द्रशेखर महाविद्यालय, बलिया

विषय:-प्रदेश में दिनांक: 16 से 22 जुलाई, 2021 तक "भू-जल सप्ताह" का आयोजन किया जाना।
महोदय,

कृपया शासन के उक्त पत्र (संलग्नकों सहित) के अनुपालन में दिनांक: 16 से 22 जुलाई, 2021 तक "भू-जल सप्ताह" का प्रभावी ढंग से आयोजन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(एस0एल0 पाल)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. माननीय कुलपति जी।
2. विश्वविद्यालय की वेब साइट एवं कालेज लागइन पर अपलोड करने हेतु।

कुलसचिव

ਪ੍ਰੇਮਕ.

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

- 1—समस्त अपर मुख्य संचिव/प्रगुण संचिव/संचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
 - 2—समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
 - 3—समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
 - 4—समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नमानि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाव-3

लखनऊ : दिनांक, ३० जून, 2021

233/P5HE/21

महोदय.

आप अवगत हैं कि जनसंख्या वृद्धि एवम् औद्योगिकीकरण के कारण जल संसाधनों की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, वहीं सिंचाई, पेयजल व औद्योगिक सेक्टर में भूजल पर निरन्तर बढ़ती निर्भरता से भी अनेक क्षेत्रों में भूजल के अतिदोहन की रिथति उत्पन्न हो गयी है। इससे प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भूजल स्तर में चिन्ताजनक गिरावट एवं अतिदोहन की रिथति उत्पन्न हो गयी है। जिसके कारण यह सीमित संसाधन, उपलब्धता एवं गुणवत्ता की दृष्टि से अभीर रिथति में पहुँचता जा रहा है। भूजल संसाधन आंकलन-2017 के अनुसार वर्तमान में प्रदेश के 82 विकाससभ्यक संस्थानों²⁰²¹ विकासखण्ड किटिकल एवं 151 विकासखण्ड सेमीफ्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत किए गये हैं। यर्थ 2000 में अतिदोहित / क्रिटिकल विकासखण्डों की संख्या भात्र 20 थी, जो लगभग सात गुना बढ़कर वर्तमान आंकलन में 129 पहुँच चुकी है।

2- प्रदेश में भूजल के समेकित प्रबन्धन राज्य सरकार की प्राथमिकता में सम्मिलित है, जिससे प्रदेश में भूजल संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण, प्रबन्धन एवं नियमन किये जाने के उददेश्य से उत्तर प्रदेश ग्राउण्ड वाटर बैनरेजमेंट एन्ड रियल इंडस्ट्रीज़ रिग्युलेशन) अधिनियम-2019 प्रख्यापित किया गया है, जो प्रदेश में 02 अक्टूबर-2019 से लागू है। अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश की जिलाधिकारी की अधिकता में गठित जिला भूजल प्रबन्धन परिषद के द्वारा जनपद में भूजल के प्रबन्धन शास्त्र नियमन हेतु समुचित प्रयास किए जाने हैं। अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों के समुचित एवं रागणगद् निषादन तथा नियमन हेतु सभुचित प्रयास किए जाने हैं। जिसके अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों का सम्पन्न निरतारण भी देतु एक आन-लाइन वेब-पोर्टल भी विकसित किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों का सम्पन्न निरतारण भी हो सकता है। इस पोर्टल में विलाधिकारी की अधिकता में गठित जिला भूजल प्रबन्धन परिषद के द्वारा किया

प्राथमिकता के आधार
जाना है।
प्राथमिकता
प्राथमिकता

3- जैसा कि आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश में गुणां जल राष्ट्रादा के महत्व के प्रति जन-जागरूकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 2012 से प्रत्येक वर्ष दिनांक 16 से 22 जुलाई के मध्य "भूजल राताह" का निरन्तर आयोजन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में पूर्व में शासनादेश रांख्या-732/62-1-2012-830/98, दिनांक 05 जून, 2012 के द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में भूजल जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य से निर्देश जारी किए गए हैं तथा प्रत्येक वर्ष दिए जाते रहे हैं। कोविड-19 के दृष्टिगत वर्ष 2021 में भूजल सप्ताह के आयोजन में निम्ननुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएः-

(1) वर्तमान में भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालय मण्डल रत्तर पर ही स्थापित है, जबकि "भूजल सप्ताह" का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जाता है। इसके दृष्टिगत जनपद रत्तर पर अवरिथत लघु सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता इस आयोजन के जनानीय गोडल अधिकारी एवं मण्डल रत्तर पर भूगर्भ जल विभाग के सम्बन्धित अधिकारी, मण्डलीय नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

(2) वैसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग एवम् अन्य राजकीय शिक्षण संस्थाएं इस आयोजन हेतु अपने नियंत्रणाधीन स्कूल-कालेजों, विश्वविद्यालयों व शैक्षिक संस्थानों को आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत करेंगे और उक्त आयोजन का अनुश्रवण करेंगे।

(3) शहरी क्षेत्रों में आवास एवम् शहरी नियोजन विभाग अपने अधीनरथ प्राधिकरणों, ३०प्र० आवास विकास परिषद आदि के माध्यम से इस आयोजन की अवधि में व्यापक प्रचार-प्रसार एवम् जन जागरूकता हेतु पोर्टर्स, वैनर्स, होफिंग्स आदि का प्रदर्शन करायेंगे।

(4) जन सामान्य की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से केन्द्रीय संस्थानों/प्रतिष्ठानों, गैर सरकारी संगठनों एवं रखयं सेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों का भी यथासम्भव सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाये। विशेष रूप से कृषि विज्ञान केन्द्र, जिला विज्ञान वलब, पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, शिक्षा निक्र, आंगनबाड़ी केन्द्र, स्ल उपभोक्ता समितियाँ, रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी, भारतीय उद्योग परिसंघ, इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, ऑर्गेनिज़ प्रतिष्ठान, इण्डियन आर्कीटेक्ट एसोसिएशन, विल्डर्स एसोसिएशन, इन्सटीट्यूशन आफ इंजीनियर्स, युवा मंगल एल, नेटर्स युवा केन्द्र जैसे संगठनों को भी कोविड-19 के दृष्टिगत इस आयोजन से जोड़ने का प्रयास किया जाये तथा इस आयोजन को प्रभावी ढंग से सफल बनाये जाने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यालयी ते शासन को भी अवगत कराया जाए।

4- जैसा कि आप अवगत हैं कि दिनांक 22-03-2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर ना० प्रधानमंत्री भवानीपुरा द्वारा इस वर्ष जल संध्यन अभियान की शुरुआत जल शपित अभियान की धीम "Catch the Rain, where it falls; when it falls" के साथ की गयी है, जिसमें विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से ना० प्रधानमंत्री भवानीपुरा द्वारा जल संध्यन से सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों, जिलाधिकारियों एवम् ग्राम पंचायतों के सरपंच को सम्बोधित भी किया गया था। अभियान का मुख्य उद्देश्य यां के आगमन से पूर्व जल संध्यन से सम्बन्धित अपारभूत संरचनाओं यथा चेकड़े, तालाब, कुर्झे, इत्यादि का निर्माण/पुनरोद्धार किया जाना है, जिससे कि वर्षों की प्रत्येक बूंद का अधिकाधिक संध्यन किया जा सके।

5- इस कार्यक्रम के सफलता पूर्वक आयोजन में गणलालासुगत, जिलाधिकारी एवं गुरुज्ञ विकास अधिकारियों की प्रिशेष भूमिका है। जनपद स्तर पर पूरे सप्ताह मनाये जाने वाले इस आयोजन की कार्यशोजना इस प्रकार बनायी जाए कि भूजल संरक्षण का संदेश आम जनता तक पहुँचे और वह इसके प्रति संयोगशील बन राके। समरत जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जनपद स्तर पर चौंकि भूगर्भ जल विभाग के अधिकारी तैनात नहीं हैं, अन्य सम्बन्धित विभागों यथा-कृषि, सिंचाई, लघु सिंचाई, विकास प्राधिकरण, नगर निगम/नगर पालिका, आवास, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, उठान निगम, लोक निर्माण, उद्यान, शिक्षा विभाग आदि के सहयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए।

6- इस वर्ष का मुख्य विचार यिन्दु “जल संरक्षण है एक संकल्प, नहीं है इसका कोई विकल्प” रखा गया है, जिस पर उक्त आयोजन केन्द्रित रहेगा।

7- दिश्य रथारथ संगठन, भारत राष्ट्रगर एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया है। कोविड-19 की संक्रामकता पर अंकुश लगाने हेतु राष्ट्रग-सभ्य पर राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अतएव भूजल सप्ताह की अवधि में समरत विभिन्नों का संचालन उक्त दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित विकास कराया जाये।

उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण प्रदेश में 16 से 22 जुलाई के मध्य ‘भूजल सप्ताह’ का प्रभावी ढंग से आयोजन सुनिश्चित कराया जाये।

भवदीय,

Digitally signed by
राजनेश कुमार तियारी
Date: Thu Jun 24 15:50:51 IST
2021 (राजनेश कुमार तियारी)
Reason: Approved
मुख्य सचिव

संख्या- (1) / 76-3-2021 / तदटिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी संधिय, मा० मंत्री जी, जल शक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. स्टाफ आफीसर, औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. उपाध्यक्ष, समरत विकास प्राधिकरण।
6. आयुक्त, समरत नगर निगम।
7. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अनुराग श्रीवारत्न)

प्रमुख सचिव